राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

लखनऊ, 17 अप्रैल (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को दोहरी नागरिकता के कथित विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि प्रथम सूचना रपट (प्राथमिकी) दर्ज होने के बाद राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी, 2026 को विशेष सांसद-विधायक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

सांसद/विधायक अदालत ने कहा था कि यह अदालत नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता व याचिकाकर्ता शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच का अनुरोध किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई आरोप लगाए हैं।

यह अर्जी शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को उक्त आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को उक्त याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी, 2026 को विशेष सांसद-विधायक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। सांसद/विधायक अदालत ने कहा था कि यह अदालत नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता व याचिकाकर्ता शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच का अनुरोध किया था।

आरोपी छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार

प्रयागराज, 17 अप्रैल (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहपाठी को कथित तौर पर बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश करने की आरोपी 12वीं कक्षा की दो छात्राओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपी छात्राओं के खिलाफ उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए युवाओं द्वारा दूसरों पर अपना धर्म या विश्वास थोपने की चिंताजनक प्रवृत्ति को भी संज्ञान में लेते हुए कहा कि अधिनियम के तहत इस रुख पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अदालत ने गुरुवार को दिए निर्णय में कहा, 'हमें इस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए कि 2021 का अधिनियम समाज में उत्पन्न हो रही ऐसी स्थिति को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते, बल्कि उसे दूसरों पर थोपते हैं। अगर युवाओं में इस तरह का रुझान देखने को मिलता है तो यह और भी चिंताजनक है।' अदालत ने कहा, 'यह युवाओं के जीवन का वह समय है, जहां उन्हें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित करने के बारे में अधिक सोचना चाहिए और खुद को समाज व राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहिए।' अदालत ने कहा, 'अगर इस स्थिति को शुरुआती चरण में ही नहीं रोका गया तो इससे कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड | पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।
उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं के नाम और पता और मांग सूचना की तारीख और ऋण खाता संख्या।	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	कब्जा सूचना में मांगी गई राशि (रु.मे)
1. अमर नाथ कांडपाल, 2. प्रभा कांडपाल, 3. हर्षित कांडपाल, पताः गली नंबर 3, टालफ फैक्ट्री के पीछे, संतपुरा, गोविंदपुरी,मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 201204। और इसके अलावा यहाँ परः 1ए. अमर नाथ कांडपाल, पताः संपत्ति नंबर 07, खसरा नंबर 224, वाका गांव, बिसोखर, परगना जलालबाद, तहसील मोदी नगर, जिला में स्थित है। गाजियाबाद, यूपी, पिनकोड 201201। ऋण खाता संख्या 0000010020-सी (**PR01450237**) मांग सूचना दिनांकः 22-01-2026	संपत्ति संख्या 07 का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका भू-क्षेत्रफल 144 वर्ग गज (अर्थात् 120 वर्ग मीटर) हैय यह कुल 432 वर्ग गज के क्षेत्रफल में से, खसरा संख्या 224 के अंतर्गत स्थित है। यह संपत्ति ग्राम बिसोखर में स्थित है, जो नगर निगम और मास्टर प्लान की सीमा से बाहर, परगना जलालबाद, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, यू.पी ., पिनकोड-201201 के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त संपत्ति की सीमाएः पूर्व की ओरः बिजेंद्र का मकान, पश्चिम की ओरः सड़क, उत्तर की ओरः नरेंद्र का मकान, दक्षिण की ओरः नवीन का मकान। प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 13 अप्रैल 2026।	36,13,045/- रुपये (छत्तीस लाख तेरह हजार पैंतालीस रुपये मात्र) दिनांक 09 जनवरी 2026 को देय राशि, साथ ही 10 जनवरी 2026 से बकाया ब्याज शामिल।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान - गाजियाबाद,दिनांक - 18-04-2026 | हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।

उत्तर प्रदेश : अवैध मस्जिद और मदरसे पर चला बुलडोजर

संभल, 17 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मदरसे व मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे।

संभल के मुबारकपुर बंद गांव का मामला, भारी पुलिस बल रहा तैनात।

जिलाधिकारी पेंसिया ने बताया कि मुबारकपुर बंद गांव में ग्राम प्रधान ने तीन महीने पहले शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार अदालत में मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 30 दिन का अपील का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि वहां दो अवैध ढांचे थे और गांव के लोगों ने कहा था कि वे स्वयं हटा लेंगे लेकिन पूरा ढांचा नहीं हटा पाए। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि यहां खेल के मैदान व खाद के गड्ढे की करीब 600 वर्गमीटर आरक्षित भूमि पर कब्जा था। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि गाटा संख्या 623 और 630 सरकारी जमीन है, जो राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान और खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसी पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना था। कुमार ने बताया कि पहले नोटिस दिया गया था और तहसीलदार अदालत ने धारा 67 के तहत निर्णय दिया था।

भेदभाव नहीं, स्वेच्छा से अपनाया गया धार्मिक अनुशासन व आस्था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमला मामले की सुनवाई के पांचवें दिन महिलाओं के मंदिर में प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं को लेकर अहम बहस हुई। आत्मन ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एमआर वेंकटेश ने दलील दी कि मासिक चक्र के दौरान महिलाओं का मंदिर या पूजा कक्ष में प्रवेश न करना भेदभाव नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनाया गया धार्मिक अनुशासन और आस्था है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जहां महिलाएं स्वयं इस नियम का पालन करती हैं। यह कोई लिखित नियम नहीं है, बल्कि विश्वास और अनुशासन का हिस्सा है। सुनवाई के दौरान वेंकटेश ने डा बीआर आंबेडकर के संविधान सभा के भाषणों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अस्पृश्यता और अस्थायी धार्मिक अशुद्धि अलग अवधारणाएं हैं। उनके अनुसार सबरीमला फैसले में इन दोनों को एक समान मानना गलत व्याख्या है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक प्रथा और धार्मिक संप्रदाय की कोई सटीक परिभाषा संभव नहीं है।

मासिक चक्र के दौरान महिलाओं का मंदिर में प्रवेश नहीं करने के मामले में दलील।

केरल : यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पलक्कड़, 17 अप्रैल (भाषा)।

केरल की एक अदालत ने एक दलित महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता प्रशोब सी वलसन की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। मन्नारकाड में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश जोमोन जान ने पलक्कड़ नगरपालिका के 24वें डिवीजन के पार्षद वलसन की अग्रिम जमानत अर्जी यह कहते हुए ठुकरा दी कि उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। पिछले महीने पलक्कड़ दक्षिण पुलिस ने वलसन के खिलाफ उस समय मामला दर्ज किया था, जब एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पार्षद (वलसन) ने उसे नौकरी दिलाने और उससे शादी करने का वादा करके कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया था। विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस मामले को उठाया था।

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Yogesh Gill Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar
Indostar Capital Finance Limited
Vs.
Abdul Afsar
NACT/5554/2024
CNR NO: PBLD03-023672-2024
Next date: 08-05-2026
detail of offence:-
Notice To: Abdul Afsar : D No 12-80 Near Urdu School Sanath Nagar ViJayawada Krishna Nagar Andhra Pardesh
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 08-05-2026 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate first Class- 20 Jalandhar
dated this day of 15-04-2026

फार्म नं. 3
[देखें विनियमन-13 (1)(ए)]
कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम मंजिल एससीओ 33-34-35 सैक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय और चतुर्थ मंजिल पर भी अतिरिक्त आवंटित स्थान)
केस नं. ओए/2329/2025
कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन्ज़
Exh. No. 29954
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
परम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इसके निर्देशकों के माध्यम से एवं अन्य

सेवा में,
(डी-3) अनमोल सिंह जग्गी पुत्र श्री परमिंदर सिंह जग्गी, निवासी ए/2, 12वीं मंजिल, पैलेडियम कॉरपोरेट रोड, प्रह्लादनगर, अहमदाबाद गुजरात-380014.
इसके अलावा: अनमोल सिंह जग्गी पुत्र श्री परमिंदर सिंह जग्गी, निवासी ए-48, द्वितीय मंजिल, वसंत विहार, वसंत मार्ग, साउथ-वैस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110057.
इसके अलावा: अनमोल सिंह जग्गी पुत्र श्री परमिंदर सिंह जग्गी, निवासी बी-1203, सोरेल टावर्स, एप्पलवुड्स, टाउनशिप एसपी रोड सनाथल, अहमदाबाद, गुजरात-380058.
(डी-4) प्रतिवादी नं. 4, पुनीत सिंह जग्गी पुत्र श्री परमिंदर सिंह जग्गी, निवासी ए/2, 12वीं मंजिल, पैलेडियम कॉरपोरेट रोड, प्रह्लादनगर, अहमदाबाद, गुजरात-380014.
इसके अलावा: पुनीत सिंह जग्गी पुत्र श्री परमिंदर सिंह जग्गी, निवासी 545, सेक्टर-8, पंचकूला, हरियाणा-134109.

सम्मन्ज़
जैसे कि, ओए/2329/2025 माननीय प्रीजाइडिंग ऑफिसर/**17.03.2026** पर पंजीकरण सूचीबद्ध था।
जैसे कि, यह माननीय ट्रिब्यूनल से अधिनियम की धारा 19(4) (ओ ए) के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्मन्ज़ द्वारा जारी किया गया, **रु. 14,91,50,043.5/-** के कर वसूली के लिए आप द्वारा भरना होगा (दस्तावेजों वगैरहा के परिष्ठि की कापियों के साथ-साथ प्रार्थना पत्र)
आप अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के साथ तदनानुसार जैसा कि निम्न प्रतिभागी निर्देशित किए गए हैं:-
(i) सम्मन्ज़ की सर्विस के 30 दिनों के भीतर-भीतर कारण बताओ, कि क्यों आपको छुटकारा दिया जाना चाहिए।
(ii) असल प्रार्थना प्रपत्र के क्र. 3ए के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पत्तियों और सम्पत्ति विशेष अन्य सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के विवरणों को डिसक्लोज कर दिया गया।
(iii) सम्पत्तियों की सलंगता के लिए प्रार्थना पत्र की पेंडिंग, हेयरिंग और डिस्पोजल, असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत बंद सम्पत्तियों और अन्य ऐसी सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की डिस्पोजिंग या डीलिंग से आप प्रतिरोधित हैं।
(iv) आप ट्रिब्यूनल की प्रारंभिक स्वीकृति के बिना असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत विशेष या बंद की गई सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों और/या जो सुरक्षाहित बनाई गई है से ऊपर की किसी सम्पत्ति या उसके बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में अतिरिक्त बिक्री या पट्टे के रास्ते द्वारा परिवर्तित नहीं करेंगे।
(v) ऐसी सम्पत्तियों पर सुरक्षाहित वित्तीय संस्थानों की होल्डिंग या बैंक से मैनेटेंड खाते में ऐसी बिक्री प्रोसीडज़ जमा और बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रोसीडज़ जारी करने के लिए आप खाते के ही उत्तरदायी होंगे।
आपको लिखित में सीधे फाइल में स्टेटमेंट के साथ उसकी एक कापी आवेदक को तिथि **05.05.2026 को प्रातः 10.30 बजे** या इससे पहले **रजिस्ट्रार** को देनी होगी, वरना आपकी अनुपस्थिति में निर्णय और सुनवाई प्रार्थना पत्र पर कर दी जाएगी।
मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के साथ यह तिथि 18.03.2026 को जारी किया।
सम्मन्ज़ जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।
नोटः जो लागू न हो उसे काट दें

WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED
(formerly Unimoni Financial Services Limited)
RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No. U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

यह जनता को सूचित करने के लिए है कि गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी **WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED (formerly Unimoni Financial Services Limited)** द्वारा **25-04-2026** को सुबह **10:00** बजे नीचे दिए गए संबंधित केंद्रों पर की जाएगी। नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के ऋण खातों से संबंधित हैं, जो अपना बकाया चुकाने में विफल रहे हैं। नीलामी के हमारे नोटिस इन उधारकर्ताओं को विधिवत जारी किए गए हैं। नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित हैं, जिनका उल्लेख शाखा के नाम के साथ किया गया है।

Auction Centre Address & Loan Nos: DELHI MAHIPALPUR (MAH - NO L 3 - 82B, MAHIPALPUR EXTENFIRST FLOOR,NEW DELHI, Contact : 9818601160) 2187359.

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice)

bajaj CONSUMER CARE

Bajaj Consumer Care Limited
CIN: L01110RJ2006PLC047173
Regd. Office : Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan.
Phone: +91 294-2561631-32 ● **Website:** www.bajajconsumercare.com
Email: complianceofficer@bajajconsumer.com

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2026

(₹ In lakh)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	March 31, 2026 Audited^	December 31, 2025 Unaudited	March 31, 2025 Audited^	March 31, 2026 Audited	March 31, 2025 Audited
Total Income from operations (net)	32,665.89	30,609.16	25,049.16	1,16,471.34	96,482.50
Net Profit for the period (before Tax, Share of Profit from Associate and Exceptional and/or Extraordinary items)*	7,773.04	5,642.66	3,719.36	23,108.41	15,228.74
Share of Profit from Associate	-	-	47.60	28.51	47.60
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)*	7,773.04	5,642.66	3,766.96	23,136.92	15,276.34
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)*	6,359.57	4,637.06	3,098.44	19,018.10	12,526.25
Total Comprehensive Income (net of tax)	6,344.43	4,624.61	2,982.20	19,023.82	12,354.28
Equity Share Capital	1,306.18	1,306.18	1,370.53	1,306.18	1,370.53
Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised except for year ended March 31, 2026 & March 31, 2025)					
Basic:	4.75	3.44	2.23	14.21	9.03
Diluted:	4.75	3.44	2.23	14.21	9.03

* There are no Exceptional and/or Extraordinary items.
The key numbers of Standalone audited results of the company are as under:

(₹ In lakh)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	March 31, 2026 Audited^	December 31, 2025 Unaudited	March 31, 2025 Audited^	March 31, 2026 Audited	March 31, 2025 Audited
(a) Total income from operations (net)	30,831.54	28,687.14	24,352.24	1,09,217.15	94,276.31
(b) Profit before Tax	7,808.13	5,767.98	3,814.09	23,479.99	15,769.03
(c) Profit after Tax	6,407.47	4,760.20	3,147.70	19,373.06	13,013.87

^ The figures for the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and published year to date figures upto third quarter of the respective financial year.

Note:
a) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on April 17, 2026. The statutory auditors have issued an unmodified report on the above results.
b) On 16th May, 2025, the holding company completed acquisition of balance 51% of the equity share capital in Vishal Personal Care Limited (formerly known as Vishal Personal Care Private Limited) (the "Target Company") for a consideration of INR 6,209.57 lacs. Consequently, the Target Company has become Wholly Owned Subsidiary of the holding company from the date of such acquisition.
c) The Board of Directors of Bajaj Consumer Care Limited (BCCL), at its meeting held on 24 July 2025, approved the Scheme of Arrangement between BCCL, Vishal Personal Care Limited (VPCL), and their respective shareholders for the demerger of VPCL's manufacturing and distribution undertaking. The Scheme was subsequently approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) on 9th April 2026 and will become effective upon filing the requisite forms with the Registrar of Companies (ROC).
In accordance with Ind AS 10 – Events after the Reporting Period, this has been considered a non-adjusting event; accordingly, no adjustments have been made to the financial results for the year ended 31 March 2026.
d) The above is an extract of detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.bajajconsumercare.com.

For Bajaj Consumer Care Limited
Sd/-
Naveen Pandey
Managing Director
(DIN 09584377)

Place : Mumbai
Date : 17.04.2026

bajaj GROUP THINK TOMORROW

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा का पताः दूसरी मंजिल, फ्रेंड्स प्लाजा, 52/53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली - 110065 | **ई-नीलामी-विक्री सूचना सरफेसी ऐक्ट के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित अचल सम्पत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे अधिनियम के अनुसार "प्रतिभूत लेनदार" कही गई हैं) के पक्ष में बंधक रखी गई थीं। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार" पर दिनांक 05.05.2026 को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेंगे। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.grihumhousing.com** देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	सम्पत्ति का विवरण (डी)	सुरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
1	ऋण संख्या HL00649100000005054922 गौरव कसाना (उधारकर्ता) मीनाक्षी मीनाक्षी (सह उधारकर्ता)	नोटिस दिनांकः 08.08.2025 कुल बकायाः रु. 13,96,366/- (रु. तेरह लाख छियान्वे हजार तीन सौ छियासठ मात्र) 08.08.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @12.35% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	भौतिक	प्लॉट सं. प्रथम-1सी के भाग का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 30 वर्ग गज, यानी 25.08 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1516 में से, उत्तरी राम विहार कॉलोनी, लोनी गांव के क्षेत्र में, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। सीमाएँः तकनीकी के अनुसार. पूर्वः एनए, पश्चिमः एनए उत्तरः एनए., दक्षिणः एनए	रु. 9,00,000/- (रु. नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/- (रु. नब्बे हजार मात्र)	04.05.2026 अप. 05 बजे से पूर्व	10,000/-	28.04.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)	05.05.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. पता - प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नं. - 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई-मेल आईडी Support@bankeauctuions.com सम्पर्क व्यक्ति धरणी पी ई-मेल आईडी dharani.p@c1india.com सम्पर्क नंबर - 9948182222 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई-बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के खाते में बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 091551000028 तथा IFSC कोड ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014 में तिथि 04.05.2026 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी तथा अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई-मेल करनी होंगी तथा स्व-सत्यापित भौतिक प्रतियां पता : शाखा का पताः दूसरी मंजिल, फ्रेंड्स प्लाजा, 52/53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली - 110065मोबाइल नंबर +91 8281138143 ईमेल आईडी p.adith@grihumhousing.com को प्रेषित करनी होंगी। नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-ऑक्शन में हिस्सा लें। इस नोटिस को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को 15 दिन का नोटिस भी माना जाए।

नोटः किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 18.04.2026, स्थानः दिल्ली | हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड